[Shri B. S. Murthy.]

has sought to protect the rights of these individuals to practise, provided they have been practising for not less than 5 years on the date the Act comes into force. The Joint Committee have also made suitable provision for the commencement of the Act in different States on different dates.

Last paragraph. Before I conclude I would like to offer my sincere thanks to Shri M. P. Bhargava, Chairman and other Members of the Joint Committee who have by their collective wisdom given a proper shape to this important legislative measure.

With these words I move that the Indian Medicine Central Council Bill as recommended by the Joint Committee may now be taken into consideration.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shall we proceed with the discussion or what ?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Sir, I would like to move this motion :

"That further consideration of the Bill be postponed to the next session."

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : If that was the agreement, then it may be done.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There is a motion before the House moved by Shri Dahyabhai Patel on the consideration of the motion moved by Shri B. S. Murthi, to the effect that the debate on this Bill be postponed or adjourned to the next session. I am putting the question. The question is :

"That further consideration of the Bill be postponed to the next session."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now before we pass on to the next item on the Agenda I may tell you one thing about this. The debate has been postponed under rule 117 for which the consent of the Chairman is required, and in view of the sentiments expressed by the hon. Members of this House ....

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : You are the Chairman now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Under exceptional circumstances this permission has been given and, therefore, it should not be treated as a precedent in future.

RE SHORT DURATION DISCUSSION ON SERIOUS ALLEGATIONS OF USE OF MONEY POWER IN THE RECENT BIENNIAL ELECTIONS TO RAJYA SABHA

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh) : Sir, with your permission, I would like to make a submission. Before you take up the next item on the Agenda, if I mistake not, the day it came up it was agreed that at least one full day should be allotted for this work. It is now 5.15 and I doubt very much if the hon. Members are in a mood to sit for another three or four hours. Therefore, I would most humbly submit that some other day be allotted for this work, whether in this session or in the next session.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Just a minute please. This question was raised in the House earlier and hon. Members expressed their views that they would like to discuss this matter during this session only, and they said that it would take about two hours Shri Chandra Shekhar also said that it had been raised in the House on a number of occasions and that about two hours would be enough.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh) : I have changed my mind.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Apart from that the matter was considered by the Business Advisory Committee also and it was decided that after disposing of these two Bills this matter should be taken up for discussion, and that whatever time remains after passing the two Bills the remaining time should be allotted for discussion of this subject. Now we have passed only one Bill and to accommodate the maximum number of Members we have postponed consideration of the second Bill. We have still got two hours' time and it will be quite enough. In that case I would like to request hon. Members that they should restrict their observations to the

minimum possible so that we can accommodate a large number of Members.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : Only 45 minutes are left, and so much money is involved that if we began to count it, we will take more than 45 minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We may sit for an additional hour.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : I have to make a submission. I was under the impression, and I am still of the view, that it is not a very important subject taking into consideration the overall political situation in this country. I hold that view still. But I had some discussion with my friends, Shri Krishan Kant, Shri Rajnarain and Shri Sheel Bhadra Yajee. They feel that it is a very important matter. As I am a democrat, I have too be guided by their opinion also. I feel, Mr. Deputy Chairman, that 40 minutes are not enough for the purpose, and if we begin this discussion today, it will not have that seriousness which they want to bring in in the discussion. So it will not serve any purpose by having the discussion today. It may be postponed as Shri Triloki Singh has suggested.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We have postponed consideration of the Bill with a view to accommodating discussion on this subject.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : This may be postponed to the next session. With your permission, we can adjourn today.

SHRI R. S. DOOGAR (West Bengal) : I feel also that for the debate which Mr. Krishan Kant is going to initiate two hours are not enough. Members from all parties would like to participate. Two hours' time is not enough. Either we find a date in this session or postpone the discussion for the next session.

सभा के नेता (श्री के० के० शाह): राजनारायण जी, आपका कहा मानने से न तो इधर का न उधर का रहा, ऐसी हालत हो गई अभी ।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : आप भी थोड़ी अपनी प्रभुता इसमें लगाइये । त्रिलोकी सिंह जी ने और चन्द्रशेखर जी ने दोनों बातें की हैं, त्रिलोकी सिंह जी ने दोनों को कहा और चन्द्रशेखर जी ने अपनी बात को काट कर केवल नेक्स्ट सेशन को कहा, लेकिन अगर 25 तारीख को इसको ले लिया जाय तो क्या बुराई है ।

श्री उपसभापति : 23 तारीख के बाद बैठने को नहीं है, ऐसा फैसला हो गया है । बहुत से लोगों के प्रोग्राम बन चुके हैं ।

श्री राजनारायण : ऐसा फैसला हो चुका है तो फिर आज 7 बजे तक इसको करें, 7 बजे तक में इतनी थकावट नहीं होगी, रोज ही बैठते हैं...

श्री उपसभापति : हां, 7 बजे तक बैठ सकेंगे ।

श्री राजनारायण : 7 बजे तक या जब तक समझें आज बैठें, 7 बजे तक या साढ़े 7 बजे तक आज बैठे और फिर आखीर के दो दिनों में 11 से 12 बजे तक चले और फिर 5 से 7 बजे तक चले ।

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmir) : Short duration discussion cannot be postponed.

श्री राजनारायण : नहीं नहीं, शार्ट ड्यूरेशन का यह मतलब नहीं कि आज डेढ़ घंटे में ही खत्म हो जाय । ढाई घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे भी चल सकता है ।

SHRI R. S. DOOGAR : Two hours are not enough. Either we sit on the 25th or postpone the discussion until the next session. Mr. Rajnarain has also said that we can take it up on the 25th. In two hours' time we will not be able to do justice to such an important matter. We cannot discuss it at length.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : We can adjourn the House. The House is not in a mood.

SHRI TRILOKI SINGH : It will take a longer time.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) : We want a longer time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House is not in a mood to sit for any further period and for futher days also. Shall we adjourn *sine die* then?

श्री राजनारायण : देखिये, नेता सदन ने जो बात कही उसमें दम है ।

श्री उपसभापति : अब सदन के बैठने का कोई मूड नहीं है । कल भी नहीं होगा ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह हमारी स्थिति हास्यास्पद हो गई है । अभी पन्द्रह, बीस मिनट पहले हमने सोच समझ कर एक बात तय की है । लेकिन जैसे कोई लड़का लंगोटी कभी इधर बांधे, उधर छोड़े । आपने एक फैसला ले लिया, उस फैसले पर हमको दृढ़ होना चाहिये ।

श्री उपसभापति : सदन ने फैसला लिया ।

श्री राजनारायण : आपने फैसला लिया तो सदन ने भी लिया । अगर आपकी राय सदन मान लेता है तो, कृष्ण कान्त जी को क्या आपत्ति हो रही है । कृष्ण कान्त जी जितना बोलना चाहते बोल सकते हैं, हम उनको चिता को समझते हैं . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : Why should he not start the debate ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि 20 ता० के बाद 3 दिन जो हाउस आगे बढ़ रहा है, उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा . . .

श्री उपसभापति : 22 और 23 ता० को हो रहा है । 21 को हालिडे है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी : इवन देन, दो दिन तो क्वेश्चन आवर नहीं होगा । तो हमको आसानी से 2 घंटा मिल सकता है ।

श्री उपसभापति : चौधरी जी, मैं बता दूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समय का बंटवारा हुआ । क्वेश्चन आवर का भी बंटवारा हो चुका ।

श्री गनशी लाल चौधरी : तो श्रीमन्, 25 तारीख को भी सदन बैठ जाये ।

श्री उपसभापति : यह भी फैसला हो गया है कि आगे नहीं बैठेंगे ।

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : We are prepared to open this debate if they do not do that.

श्री गनेशी लाल चौधरी : यह अहम मसला है, इस मसले को आप बैठ कर सोच लें ।

श्री उपसभापति : ठीक है, बैठ जाइये । थोड़ा थोड़ा समय ले लीजिए । पांच, सात, दस मिनट ।

श्री शीलभद्र याजी : श्रीमन्, हमको तो एक घंटा चाहिये । हम तो भुक्तभोगी हैं ।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : अगर इस डिसकशन की कोई इम्पार्टेन्स है, तो 2 साल के भीतर कभी भी डिसकस कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि अगर यह इम्पार्टेन्ट है तो आधा घंटा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा । मैं कृष्ण कान्त जी से भी प्रार्थना करता हूं कि अगर यह इम्पार्टेन्ट है तो 2 साल के अंदर कभी भी इसको रख लें । इस पर पूरा डिसकशन होना चाहिये । आप इसका फैसला कर लें ।

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is Mr. Krishan Kant prepared to open the debate or not ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House has already decided that we postpone the consideration of the Bill. Let us not go back on that.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Sir, I am prepared to open the debate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : If necessary, I am prepared to appeal to the hon. Members. They should be prepared to sit half an hour longer, till eight or like that, so that we can accommodate all the Members.

SHRI R. S. DOOGAR : What is the decision, Sir ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We will sit a little longer.

SHRI R. S. DOOGAR : Two hours will not be enough. Is the debate going to be postponed to the next session ?

SHRI KRISHAN KANT : Mr. Rajnarain will see that this discussion cannot be postponed to any other day according to the Rules of Procedure because a short-duration discussion has to end on that very day.

(*Interruptions by Shri Bhandari*)

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Has he not any right to make any observations ?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I am not asking you. Who are you ?

SHRI CHANDRA SHEKHAR : This Jana Sangh tendency should be kept outside. By this aggressive attitude you are not going to bully me. What Mr. Krishan Kant has raised is a very valid point. If according to the rules it cannot be postponed to another day, then we have to decide whether we are going to sit for three hours today or not. (*Interruptions*) You may be ready. But it is for others also to decide. Are we going to finish this discussion within half an hours ? Mr. Bhandari may be interested in finishing the discussion in 15 minutes. Others are not interested in so doing.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I am preparted to sit for four hours.

SHRI KRISHAN KANT : When this Call Attention Notice was converted into a short-duration discussion, the whole idea was that we could discuss the matter in greater detail. All parties and many Members wanted to participate in this. I am prepared to initiate the discussion. But this discussion cannot be postponed till tomorrow or the day after because we have to finish it today. We have to sit till eight or nine. Mr. Bhandari may speak and go. Mr. Rajnarain may not understand this implication. But he is interested in the subject. All parties are interested in the subject. All parties are interested. We have to say something, others may have to say something. We have to do justice to this subject. Every party wanted that this House should discuss it. It could not be discussed till 5.30. It is not that important just like a Budget which has to be passed urgently. That is why I request—for the 25th I am prepared. Or if everybody wants, in the next session it can be done. That was the point.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी में जब आपने इस प्रश्न पर विचार किया उस समय यह बात साफ थी कि यह दो बिल पास होने के बाद इस पर चर्चा होगी । इसमें से कहीं यह चीज़ नहीं निकलती कि वह 3 बजे शुरू होना चाहिये या 5 बजे शुरू होना चाहिये । बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी जब यह विषय तय हो चुका है, तो आज यह बात उठाना कि अब 45 मिनट में क्या होगा या एक घंटे में क्या होगा, मै समझता हूं कि अब इस विषय का कोई महत्व नहीं रहा । जो आपने निश्चय किया है और जिसके आधार पर ही पहले वाले विधेयक का विचार हमने स्थगित किया, उन दोनों बातों का यह अर्थ है कि इस विषय को आज ही लेना चाहिये ।

SHRI R. S. DOOGAR : It is an important matter, Sir.

SHRI B. T. KEMPARAJ (Mysore) : This happens to be a very important matter, it cannot be ignored. Therefore it should be taken into consideration, and also the time factor. Because of shortage of time it is better to take up this matter on another occasion and see that full justice is done by giving full scope for every Member of each party to express his opinion without fear or favour. Though Mr. Bhandari has said that according to the programme of the Business Advisory Committee it should be taken up today, it cannot be, because of shortage of time. Therefore, I urge that consensus of opinion has to be taken into consideration and this matter may be taken up on some other day, most probably, if convenient to the Government, on the 25th, or during the next session.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa) : I support Mr. Krishan Kant in this because I want to remind you that about 90 Members of this House tabled the Calling Attention Notice. Because it could not be discussed so

[Shri Banka Behary Das]

fully in that form, this type of discussion was arranged. It will not be possible for all the Members to participate. And you should give at least ten to fifteen minutes to each.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Ten minutes each.

SHRI BANKA BEHARY DAS : If you give them ten minutes, will it be sufficient ? I do not think so. Many Members will speak and if each takes ten minutes, how will it be over soon ? It will be going on up to nine. I think, in view of the seriousness of the debate, it may be postponed.

श्री राजनारायण : जो विषय गम्भीर है जो बहुत सीरियस है, उसको आप बराबर पोस्टपोन करते जा रहे हैं। एक दफा हमने इस चीज़ के बारे में फैसला कर लिया है कि इस पर बहस होगी और उसके लिए हमने एक दिन पूरा बहस करने के लिए माना भी था। अब यह कहा जा रहा है कि यह विषय बहुत गम्भीर है और आज इस पर बहस पूरी नहीं हो सकेगी, उसे दूसरे सैशन में ले आना होगा, यह बात समझ में नहीं आती है। इस सैशन में भी समय नहीं दिया गया है और न मालूम अगले सैशन में भी समय मिलेगा या नहीं।

SHRI DEV DATT PURI (Haryana) : Sir, at this time a discussion will only be something like a summary disposal of this important matter. We should attach that importance to the matter that it deserves, and should not dispose it off in such hurry. Therefore, I respectfully suggest that either a full day should be given for this during the current session, or if this is utterly impossible, the matter may be brought out in the next session.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : We know your inconveniences.

SHRI TRILOKI SINGH : Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg, with your permission to submit that the election is not a dispute *inter se*. It is a matter of public importance, and free and fair elections go to the very root of democracy. I was also one of the signatories. But I feel that a full day should be allotted for this matter. I do not think that now we can do justice to this very important matter which goes to the very root of democracy by disposing it of in about an hour or two.

I, therefore, Sir, again submit to you and through you to the hon. Members of this House that the discussion be postponed today. We better take it up in the next session and let all sections of the House and leaders of groups participate in the discussion to focus public attention on the growing malady of corrupt practices in elections. This is not only confined to the Rajya Sabha, but it is there in other elections also. There are corrupt practices not only about money, but there are other corrupt practices also. And, it cannot be denied that these corrupt practices have been growing unchecked in the elections in this country.

Therefore, I would submit again that you postpone the discussion today and let us have it in the next session.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि आज यह सदन प्रस्ताव पास कर सकता है।

श्री उपसभापति : प्रस्ताव पास करने का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण : अभी हमारे मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जी ने जो बात कही कि इस विषय को अगले सैशन के लिए टाल दिया जाय, श्री चन्द्र शेखर भी बहुत उत्सुक हैं और श्री कृष्ण कान्त तो इसको मूव ही नहीं करना चाहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं हम इस विषय को हमेशा-हमेशा के लिए किसी न किसी प्रकार से टालते तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इसके बारे में कोई फैसला हो सकता है और ईमानदारी के साथ इस विषय पर अगले सैशन के प्रथम दिन इस पर विचार किया जा सकता है। आप इस तरह का फैसला इस समय कर लें और इस चीज़ को अगले सैशन के लिए टाल दें। श्री चन्द्रशेखर जी इस तरह का कोई प्रस्ताव पेश करें।

SHRI K. K. SHAH : First week.

श्री उपसभापति : प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण : क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Government is giving an undertaking.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह बात आप कह रहे हैं या नेता सदन कह रहे हैं कि अगले सैशन में ले लिया जायेगा ।

श्री उपसभापति : श्री राजनारायण जी, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, उनको इस बारे में कोई आब्जेक्शन नहीं है । आज भी इसके बारे में डिसकशन हो सकता है, अगर सदन 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार है ।

श्री राजनारायण : श्री भंडारी बैठने के लिए तैयार हैं ।

श्री उपसभापति : इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार पेश करने की बहुत से लोगों की इच्छा है ।

श्री राजनारायण : महत्व तो अब गहरा नहीं रह गया है ।

श्री उपसभापति : अगर आज 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं तो इस विषय पर आज चर्चा हो सकती है । अगर 8 बजे के बाद बैठने की इच्छा नहीं है, तो फिर आपको इसे आगे बढ़ाना होगा ।

श्री राजनारायण : हम तो 12 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हैं ।

श्री चन्द्रशेखर : श्री राजनारायण जी ने जो एक सुझाव दिया है कि इस तरह का प्रस्ताव लाया जाना चाहिये, अगर वह नहीं आ सकता है तो आप स्वयं कह सकते हैं और वहां हाउस की प्रोसीडिंग्स में आ जायेगा कि इस तरह का सुझाव दिया गया है, हम लोगों ने इस तरह का सुझाव दिया और नेता सदन ने उसे स्वीकार किया कि अगले सैशन के पहले सप्ताह में एक दिन इस विषय पर अवश्य बहस होगी । अगर आप स्वयं अपने मुखारबिन्दु से यह बात कह दें तो वह बात प्रस्ताव के समान ही होगी । इसलिए यह मेरा अनुरोध है ।

श्री उपसभापति : यह तो कहते हैं कि आज बहस होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रशेखर : श्री राजनारायण जी यह कह रहे हैं ।

श्री मान सिंह वर्मा : मुझे यह निवेदन करना है कि श्री चन्द्रशेखर जी ने जो यह बात कही कि सदन की रिपोर्ट में ये शब्द आ जाने चाहियें, यह एक हास्यास्पद बात होगी; क्योंकि अभी अभी, पांच मिनट पहले हमने यह पास किया कि जो पहले वाला बिल था उसको पोस्टपोन कर दिया जाय और दूसरा बिजनेस लिया जाय । यह चीज़ प्रोसीडिंग में मौजूद है । आप यहां पर इस तरह का क्या मजाक कर रहे हैं । पहले तो एक चीज़ पोस्टपोन करते हैं और उसकी जगह में दूसरी चीज लेते हैं और अब उसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं । क्या आप बचपना कर रहे हैं, क्या यह बच्चों का तमाशा है ।

विपक्षी के नेता (श्री श्यामनन्दन मिश्र) : मुझे यह निवेदन करना है कि जिस तरह से माननीय सदस्यों ने बताया कि इस विषय की बड़ी अहमियत है और हम कहते हैं कि काफी गहराई में जाकर इसके बारे में विचार करें । ऐसा लगता है कि आज हम विषय की गहराई में नहीं जा सकेंगे, हम आज आठ बजे या नौ बजे तक इस विषय पर बहस करें और सरगर्मी के साथ करें, तो इसके लिए सदन का रुख मालूम नहीं पड़ता है ।

मैं एक चीज़ से परेशान हूं और परेशान इस बात से भी हूं कि पिछले सैशन में भी कहा गया था कि इस विषय पर बहस हो । पिछले सैशन में माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत गर्मी दिखलाई थी और कहा था कि आज ही इस विषय पर बहस होनी चाहिये । इस संबंध में उस समय काफी गम्भीरता बतलाई गई थी,

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

मगर हमने इस पर बहस करना इस सैशन के लिए टाल दिया था। आज इस चीज को रखा गया और मुझे एतराज इस बात का है कि इस गम्भीर विषय के लिए आज पांच बजे का समय रखा गया। (*Interruption*)। जरा सुनिये। सब लोग इस के लिए मान गये थे, यह सवाल नहीं है, यह विषय नहीं है, बल्कि विषय यह है कि इसके लिए क्या वक्त रखा गया है। मैं तो इस विषय के इतिहास की बात कह रहा हूं कि पिछले सैशन में माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिये और उसका नतीजा यह हुआ कि आज जाकर इस पर बहस होने की बात आई और आज पांच बजे यह बहस शुरू होने जा रही है। जब इस पर बहस शुरू होने की बात आई तो यह कहा गया कि इसके लिए समय कम है और अगले सैशन में इस चीज को ले जाया जाना चाहिये। अगर सदन कोई बात तय करता है तो उसके कथन का कोई महत्व है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि पिछले अधिवेशन में हम चाहते थे कि इस पर बहस हो जाय, लेकिन वह नहीं हुई। आज जब हम इस पर बहस शुरू करने जा रहे हैं तो फिर कहा जा रहा है कि अगले सैशन के पहले हफ्ते में किसी एक दिन इस पर बहस होगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा लगता है कि हम यहां पर जो निर्णय करते हैं, उसमें कोई आस्था नहीं है, कमसे कम आस्था डिगती जाती है। अब दूसरे अधिवेशन में भी इस पर बहस हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, कहा नहीं जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : अब तो निर्णय ले लिया गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पिछले अधिवेशन में भी तो निर्णय ले लिया गया था कि इस अधिवेशन में इस पर बहस होगी, एक दिन इसके लिए इस अधिवेशन में निकाला जायगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आस्था डिगे नहीं तो हमें अगले अधिवेशन में इस विषय पर जरूर बहस करनी चाहिये। आपको इसके बारे में पक्का करार कर लेना चाहिये कि पहले सप्ताह में इस पर बहस करेंगे। अगर हम अपने करार में पक्के नहीं रहेंगे तो फिर सदन की कोई मान्यता नहीं रह जायगी।

जैसा कि मैंने आपको इसका इतिहास बतलाते हुए कहा कि इस सदन की कोई मान्यता नहीं रह जायगी, अगर वह अपने वचनों ो पूरा नहीं करेगा। तो आज आप इस बात का पक्का फैसला कर लें और माननीय उपसभापति जी, आप इस बात को दर्ज कर लें कि बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी के ऊपर फर्स्ट चार्ज होगा कि वह अगले अधिवेशन के पहले सप्ताह में इसको हायस्ट प्रायरिटी दें, सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let us hear what the Government have to say.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : It is time that we make up our mind.

SHRI M. M. DHARIA : Mr. Deputy Chairman, just one minute. There is only one point. I can understand the feelings of some Members as just a few minutes before we were agreed to have a discussion on this issue. It is true that this is a very serious matter. But this House cannot forget that in this discussion, as it is concerned with the serious allegation of use of money power in the recent biennial elections to the Rajya Sabha, naturally, it is likely that these allegations may also include some of the hon'ble Members of this House. Then it is the duty of this House to give such Members a complete opportunity to have their say also.

At the same time a second aspect of this discussion is the implications thereof on the working and preservation of parliamentary democracy. That is more material because this is a new disease fast spreading in the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is all right.

SHRI M. M DHARIA : No, Mr. Deputy Chairman. This politics of defection has unstabilised the whole of our democracy. Under these circumstances, not only a serious discussion but a discussion for long duration is also required, and those who are interested shall have to be given an opportunity to speak. Under these circumstance, I feel that this august House should reconsider its decision. So, as rightly pointed out by Shri Rajnarain, this discussion should take place in the first week of the next session. All should agree to it. According to the trend the whole House is in a mood to agree to it. If it is so, let us take the decision that we discuss this issue for a whole day during the first day of the next session.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : And review it on that day.

SHRI M. M. DHARIA : No review.

SHRI K. K. SHAH : I am entirely in the hands of the House. I will agree to whatever you decide. I had pointed out earlier that my Bill should have been taken up. Then this situation would not have arisen. But the House has a right to reconsider the whole thing. You can take any decision.

श्री राजनारायण : नेता सदन ने कहा है कि दूसरे सत्र के प्रथम सप्ताह में इस को लिया जायेगा जरूर ।

श्री के० के० शाह : मंजूर, मंजूर ।

SHRI OM MEHTA : We will provide time in the first week of the next Session.

श्री राजनारायण : तो यह प्रस्ताव है और नेता सदन कह रहे हैं । अब श्रीमन्, आप इस को दोहरा दीजिए कि सर्वसम्मति से यह तय हुआ ।

श्री उपसभापति : जैसा अभी इस सदन में कहा गया, 5 बजे इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी । यह सवाल बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी के सामने आया था और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर थे और सभी लोगों ने यह तय कर लिया था कि दो बिल पास करने के बाद में इस विषय पर बहस होगी और जब दो बिल पास करने का सवाल आया था तो उसका यही मतलब होता है कि दो बिल साढ़े चार या पांच बजे तक पारित हो सकते थे, उसके पहले नहीं हो सकते और जब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर थे और उन्होंने यह फैसला लिया कि हो सकता है कि साढ़े चार या पांच बजे तक यदि बिल पास हो तो भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो इस बारे में हम किसी को दोषी या अपराधी माने, यह मैं सही नहीं समझता । उन्होंने सबने तय कर लिया था और उसी के मुताबिक यह एजेंडा में आ गया ।

SHRI S. N. MISHRA : We have done this wrong collectively. This is my humble submission. Justice cannot be done to this subject after 5 o'clock.

श्री उपसभापति : उसके बाद इस सदन में भी जब एक बिल पर चर्चा चल रही थी और उस समय यह दिखाई दे रहा था कि शायद हमारे हैल्थ मिनिस्टर 5 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर देंगे—वैसे उनको 10 मिनट ज्यादा लग गये, लेकिन यह धारणा इस सदन की थी कि 5 बजे इस विषय पर विचार शुरू हो जायेगा और सदन के सभी सदस्यों ने कहा कि इस बिल को अब पोस्टपोन कर दिया जाय और हम इस विषय पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन दस मिनट के बाद लोगों की राय बदल जाती है और कहते हैं कि हम उस विषय पर बहस नहीं करेंगे । यानी सदन की प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह बात कोई अच्छी दीखती है ऐसा मैं नहीं समझता । हम लोगों को जो कुछ भी फैसला लेना है वह सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो एक तरह से दस मिनट के अंदर यह सदन अपना फैसला बदल ले, वह भी यह फैसला कि डिस्कशन करना है या नहीं, तो हो सकता है कि सदन के बाहर जनता जो हमारी कार्यवाही देख रही है, उसे पढ़ रही है, उस पर सोच विचार करती है, उसको इस सदन के बारे में गलतफहमी हो सकती है और इसलिए मैं समझता

[श्री उपसभापति]

हूं कि आज जो यह हो गया, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं और इसके बाद जब सभी लोगों की राय है कि हम आज इस विषय पर चर्चा न करें, इस विषय पर चर्चा अगले सत्र में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी और इस सदन के नेताने भी कहा है कि हम पहले सप्ताह में एक दिन इस के लिए अवश्य दे सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि यही ठीक है। हम अगले सत्र में इस विषय पर चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट भी इस के लिए एक दिन अवश्य मुकर्रर कर देगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

अब हमारे सामने और कोई विषय नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और कोई बिजनेस नहीं है, तो कोई दूसरी राय भी नहीं है, लेकिन मैं सदन एडजर्न करूं इसके पहले एक मैसेज है। I would now suggest to the Secretary to reach the Message.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सरकार जब समय नियत करे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर जो बहस करना चाहते हैं, उसके लिए भी वह एक दिन का समय अवश्य निकालें नहीं तो, हमारे सामने एक समस्या आ सकती है। सरकार ज्यादातर चाहती है, मिसाल के तौर पर कि एक महीने के अंदर अधिवेशन समाप्त हो जाय, चाहे हमारे सामने जो मसले हैं, उन पर एक महीने के समय में विचार कर के न्याय हो या न हो और हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति न्याय कर सकें या न कर सकें। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर जो बहस होने वाली है, उसके लिए वह एक दिन रखें और इस विषय पर बहस के लिए वह एक दिन का समावेश अगले सत्र में अवश्य करे।

श्री उपसभापति : इस विषय पर बाद में सोच लेंगे।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

PARLIAMENTARY COMMITTEE TO REVIEW RATE OF DIVIDEND PAYABLE BY RAILWAYS TO GENERAL REVENUE

SECRETARY : Sir, I beg to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 19th May, 1970, adopted the following resolution :—

'That this House do recommend to Rajya Sabha to agree to associate one more member from Rajya Sabha with the Parliamentary Committee to review the rate of dividend which is at present payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance and make recommendations thereon, to be nominated by the Chairman and to communicate the name of the member so appointed to this House.'

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said resolution, and also the name of the member of Rajya Sabha so appointed, may be communicated to this House.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at forty-seven minutes past five of the Clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th May, 1970.